छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 699/2007</u>

कु. शमसुन निसा,
पिता–स्व. इफ्तेखार हुसैन,
मोमिनपारा, कमाविसदार गली,
बाड़े के अन्दर, तात्यापारा,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 07 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी कु. शमसुन निसा ने दिनांक 30–03–2007 के आवेदन से जानकारी हेतु आवेदन जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10–04–2007 को यह उत्तर दिया गया कि जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 15–05–2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील में कोई निर्णय न होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 18–07–2007 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय–पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में विलम्ब के कारण शिक्षा अधिकारी, नगर निगम, रायपुर को 10,000/–रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र भी जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 05–12–2007 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि तत्कालीन लिपिकों द्वारा प्रभार में कोई आवेदन–पत्र नहीं सौंपे गये थे। इसी कारण यह आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है और पूर्व अधिकारीगण सेवानिवृत्त भी हो गये हैं। उनके द्वारा पुलिस में आवेदन–पत्र गूम होने की सूचना भी दर्ज करा दी गई है। उर्दु शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई थी और उनके द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग (नगर निगम) को भेज दी गई है। दिया गया उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है। अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। किन्तु साथ ही यह निर्देश आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को दिया जाता है कि इस प्रकरण में रिकार्ड गूम होने का उत्तरदायित्व का निर्धारण शीघ्र किया जाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। साथ ही यदि आवश्यक हो तो सेवानिवृत्त

अधिकारियों से भी पूछताछ की जाये। इसके अतिरिक्त सेवा–पुस्तिका आदि अन्य कोई संबंधित रिकार्ड हो, जिसमें से कोई जानकारी ढूँढी जा सके वह भी ढूँढी जाये और संबंधित जानकारी यदि प्राप्त हो तो अपीलार्थी को उसका निःशुल्क निरीक्षण भी कराया जाये और उसकी प्रतियां 15 दिन के अन्दर निःशुल्क दी जावे। विलम्ब के कारण हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिये यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को नगर निगम, रायपुर की ओर से धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में 250/–रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) की राशि प्रदान की जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त